मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 -39/2021
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: अक्टूबर 6, 2021

विषयः- क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-46998/2020 जुनैद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.07.2021 के अनुपालन में POCSO Act 2012 के अभियुक्तों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाले जमानत प्रार्थना पत्रों पर Instructions उपलब्ध कराये जाने हेतु Standard Operating Procedure (SOP) तथा अनुपालन की समीक्षा हेतु सूचना का प्रारूप।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-46998/2020 जुनैद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.07.2021 के अनुपालन हेतु इस मुख्यालय द्वारा निर्गत डीजी-परिपत्र संख्या 31/2021 दिनांक 28.08.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों का तत्काल अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में POCSO Act 2012 के अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर Instructions उपलब्ध कराने हेतु 10 दिवस की Timeline निर्धारित करते हुये Timeline के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा तय समय-सीमा के भीतर Instructions मा0 उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराने हेतु framework तथा Standard Operating Procedure (SOP) विकसित किये जाने के निर्देश आदेश के प्रस्तर-89 (I) में निम्नवत दिये गये हैं-

> 89. For this purpose the following directions are being issued:
> **I. The Director General of Police, UP Police/competent officer in the PHQ shall create a framework and standard operating procedures for the State of U.P. to ensure compliance of the directions and strict adherence to the timeline of duties stated earlier. The framework shall include nomination of officials responsible for executing specific tasks with a corresponding time line.**

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा Framework, Standard Operating Procedure (SOP) तथा मासिक समीक्षा हेतु जनपदों से सूचना प्राप्त करने का प्रारूप तैयार कर उपलब्ध कराया गया है।

बालकों के विरूद्ध अपराध व उनके देखरेख एवं संरक्षण के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0)

स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के दायित्व

भारत सरकार द्वारा बच्चों के विरूद्ध बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिये तथा उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये पोक्सो अधिनियम, 2012 लागू किया गया है। इस अधिनियम में स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई को विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गये हैं। प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा नियुक्त विवेचनाधिकारी बालकों के विरूद्ध यौन अपराधों को देखने के लिये जिम्मेदार होंगे। ऐसे मामलों में निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जायेगा :–

1– स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई बालक के विरूद्ध अपराध किये जाने अथवा अपराध किये जाने की सम्भावना की सूचना प्राप्त होते ही प्रथम सूचना रिपोर्ट/सूचना दर्ज करायेंगे और उसे सूचना देने वाले को पढ़कर समझायेंगे तथा बिना विलम्ब किये देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालक को नजदीकी अस्पताल अथवा संरक्षण गृह में भर्ती करायेंगे। उनका यह भी दायित्व है कि वह 24 घंटे के भीतर बालक को विशेष न्यायालय या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

2– स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई बालक या शिकायतकर्ता को अपने उच्चाधिकारी का नाम, फोन नं0 आदि उपलब्ध करायेंगे।

3– शिकायत पंजीकरण के 24 घंटे के भीतर पीड़ित बालक/बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा और चिकित्सीय परीक्षण के दौरान एवं अन्यथा एकत्र किये गये सभी नमूनों को फोरेंसिक लैब अविलम्ब भिजवायेंगे।

4– स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह पोक्सो नियमावली, 2020 के परिशिष्ट–2 में दिये गये प्रारूप–क को अनिवार्य रूप से भरकर बालक, उसके अभिभावक अथवा ऐसे व्यक्ति जिस पर बालक विश्वास करता है या उससे समर्थित होता है, को और नियमावली के परिशिष्ट–3 में दिये गये प्रारूप–ख को भरकर बाल कल्याण समिति को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

5– उपरोक्त प्रारूप–क प्रावधानित करता है कि यौन अपराध से पीड़ित बालक कौन–कौन सी सूचनायें व सेवायें प्राप्त करने के लिये अधिकृत है जबकि प्रारूप–ख यौन अपराध से पीड़ित बालक के सम्बन्ध में प्राथमिक मूल्यांकन आख्या से सम्बन्धित है।

6– स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह बालक, उनके अभिभावक अथवा ऐसे व्यक्ति जिन पर वह विश्वास करता है अथवा उनसे समर्थित होता है, को विवेचना की अद्यतन स्थिति, प्रगति, न्यायालय में मामले के सम्बन्ध में हो रही कार्यवाहियों, जमानत प्रार्थना पत्रों की अद्यतन स्थिति एवं अन्य सेवायें व लाभ जिसके लिये बालक हकदार है, की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

7– स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा पीड़ित, उसके माता–पिता, संरक्षक, सम्बन्धी या ऐसे व्यक्ति जिन पर वह विश्वास करता है अथवा उनसे समर्थित होता है, को आपातकालीन सरकारी अथवा गैरसरकारी सुविधाओं एवं स्वास्थ्य सहायता सम्बन्धी सुविधाओं की जानकारी दी जायेगी।

8– स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा पीड़ित, उसके माता–पिता, संरक्षक, सम्बन्धी या ऐसे व्यक्ति जिन पर वह विश्वास करता है अथवा उनसे समर्थित होता है, को उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न बिंदुओं पर भी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेंगी :–

- आरोपी की गिरफ्तारी की स्थिति,
- न्यायालय में अभियोजन का प्रक्रियात्मक चरण,
- पीड़ित क्षतिपूर्ति के लाभों की उपलब्धता,
- विवेचना की स्थिति, जो पीड़ित को सूचित किये जाने के लिये उपयुक्त हो और विवेचना में हस्तक्षेप की स्थिति तक न हो,
- आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किये जाने की स्थिति,
- न्यायालय की कार्यवाही की सूचना जो पीड़ित बालक के लिये न्यायालय में उपस्थित होने के लिये वांछनीय हो या जिसका वह हकदार हो,
- आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने/जमानत पर छोड़े जाने की सूचना,
- विचारण के पश्चात न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सूचना,
- अपराधी को किस दण्ड से दण्डित किया गया की सूचना।

9– स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई का यह भी दायित्व होगा कि वह विशेष पोक्सो न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता को जमानत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में निर्देश (instructions) समयान्तर्गत उपलब्ध करायें। निर्देश में जमानत प्रार्थना पत्र पीड़ित को प्राप्त कराये जाने, पीड़ित बालक कौन–कौन सी सूचनायें व सेवायें प्राप्त करने के लिये अधिकृत है, के सम्बन्ध में उपलब्ध कराया गया प्रारूप–क एवं सीडब्लूसी को उपलब्ध कराया गया प्रारूप–ख की प्रतियाँ शामिल होंगी।

10– स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई का यह भी दायित्व होगा कि वह पीड़ित बालक या उसके माता–पिता व अभिभावक को निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर इस सम्बन्ध में बाल कल्याण समिति को सूचित करे।

11– स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई का यह भी दायित्व होगा कि पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की विवेचनाा के दौरान पीड़ित का बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाये। पीड़ित का बयान उसके निवास स्थान या ऐसे स्थान पर जहॉ वह अपने को सहज महसूस करें और उसके उसके माता–पिता, संरक्षक या ऐसे व्यक्ति

जिन पर वह विश्वास करता है अथवा उनसे समर्थित होता है, की उपस्थिति में दर्ज किया जायेगा। किसी भी दशा में पीड़ित बालक/बालिका को अभियुक्त के सम्पर्क में नहीं रखा जायेगा।

12– किसी भी परिस्थिति में पीड़ित बालक/बालिका को थाने पर नहीं बुलाया जायेगा और न ही उसकी पहचान पब्लिक मीडिया में प्रकट की जायेगी, जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो।

बाल कल्याण समिति का दायित्व

13– बाल कल्याण समिति, स्थानीय पुलिस एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई से प्राप्त सूचनाओं व दस्तावेजों पर पोक्सो ऐक्ट, 2012 एवं पोक्सो नियमावली, 2020 के उपबन्धों के अधीन समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी।

14– बाल कल्याण समिति बालकों के लिये अधिकृत सूचनायें और सेवायें उपलब्ध कराने के लिये पुलिस और विभिन्न संस्थानों से समन्वय स्थापित करेगी और अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी।

15– बाल कल्याण समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय के विधिक सेवा केंद्र से समन्वय स्थापित कर बालक को जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कराने का कार्य करेगी।

16– बाल कल्याण समिति उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के समक्ष पीड़ित बालक को अधिकृत सूचनाओं और सेवाओं जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता शामिल है, प्रदान किये जाने का खुलासा करेगी और न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर सुसंगत आख्या दाखिल करेगी।

जिलों में नोडल अधिकारी

17– जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त सम्बन्धित कमिश्नरेट/जिलों के नोडल अधिकारी होंगे जो पीड़ित एवं बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) को जमानत की सूचना पोक्सो ऐक्ट एवं पोक्सो रूल में पीड़ित को प्राप्त अधिकारों को वास्तविक रूप से अवगत कराने के लिये तथा प्रारूप–ख में प्राथमिक मूल्यांकन आख्या सीडब्लूसी और शासकीय अधिवक्ता को समय से प्रदान करने के लिये जिम्मेदार स्टाफ के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे और यदि पीड़ित, सीडब्लूसी एवं शासकीय अधिवक्ता को बेल नोटिस की सूचना समय से प्रदान नहीं की जाती है, तब नोडल अधिकारी सम्बन्धित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

18– सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सीडब्लूसी समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में वह बाल कल्याण समिति के कार्यों का त्रैमासिक मूल्यांकन करेंगे।

जमानत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध समयबद्धता एवं प्रक्रिया

19– जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के सम्बन्ध में पॉक्सो एक्ट, 2012 एवं पॉक्सो नियमावली, 2020 के प्रावधानों के अनुसार बालकों के हितो का संरक्षित करने वाले सभी प्राधिकारियों पर अधिरोपित विधिक कर्तव्यों का पालन किया जाना जमानत की परिपक्वता

प्रकिया के लिए एक पूर्व विहित शर्त है, जिसके अनुपालन किये जाने मे असफल होना बालकों के अधिकारो को न्यून-करने के समान है।

20– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों पर समयबद्ध कार्यवाही तथा पॉक्सो एक्ट 2012 के विधायी प्राविधानों के कियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नानुसार समय सीमा (Time Line) निर्धारित की गई है।

क0सं0	कार्यवाही	समयसीमा
1	बाल कल्याण समिति को स्थानीय पुलिस/ विशेष किशोर पुलिस इकाई अपराध के सम्बन्ध में सूचना दिया जाना	अपराध के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घण्टें के भीतर
2	बाल कल्याण समिति द्वारा मूल्यांकन आख्या तैयार करना और पीड़ित बालक के माता–पिता, संरक्षक, सम्बन्धी या ऐसे व्यक्ति जिन पर वह विश्वास करता है अथवा उनसे समर्थित होता है, और यदि आवश्यक है, तो सहायक व्यक्ति को चिन्हित करना जो बालक के हितों को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त हो और इस उद्देश्य से उन्हें जमानत नोटिस प्राप्त कराना।	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से 3 दिन के भीतर
3	स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर पुलिस ईकाई द्वारा बाल कल्याण समिति को जमानत प्रार्थना पत्र सम्बन्धी नोटिस प्राप्त कराना	उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय में जमानत प्रार्थना पत्र की नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 3 दिन के भीतर
4	स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर पुलिस ईकाई द्वारा बालक को जमानत प्रार्थना पत्र नोटिस प्राप्त कराने और पॉक्सो एक्ट 2012 सपठित पॉक्सो नियमावली 2020 के अन्तर्गत उसे अधिकृत सूचना व सेवाओं के बारे में बताया जाना	उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय में जमानत प्रार्थना पत्र की नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 4 दिन के भीतर
5	बाल कल्याण समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के पूर्व विधिक सहायता प्रदान करने की समय सीमा (बाल कल्याण समिति पॉक्सो एक्ट 2012 सपठित पॉक्सो नियमावली 2020 के अन्तर्गत अधिकृत सेवाओं व सूचनाओं के विवरण को भी उपलब्ध करायेगें)	बाल कल्याण समिति को जमानत नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 5 दिन के भीतर
6	बाल कल्याण समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एव्रं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में, जैसी स्थिति हो, जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के पूर्व विधिक सहायता प्रदान करने की समय सीमा	बाल कल्याण समिति को जमानत नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 5 दिन के भीतर

7	पीड़ित बालक, उसके माता–पिता, संरक्षक, सम्बन्धी या ऐसे व्यक्ति जिन पर वह विश्वास करता है अथवा उनसे समर्थित होता है, को जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई मा0 उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय में होने से पूर्व अपनी पसन्द का अधिवक्ता नियुक्त करने की समय सीमा	स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर पुलिस ईकाई द्वारा बालक को जमानत प्रार्थना पत्र सम्बन्धी नोटिस प्राप्त कराने की तिथि से 5 दिन के भीतर
8	पुलिस अधिकारियों द्वारा, पीड़ित व बाल कल्याण समिति को जमानत प्रार्थना पत्र प्राप्त कराये जाने, पीड़ित बालक को पॉक्सो एक्ट 2012 सपठित पॉक्सो नियमावली 2020 के अन्तर्गत अधिकृत सेवाओं व सूचनाओं की जानकारी देना की आख्यायें और पूर्व में वर्णित अन्य आख्याओं के साथ शासकीय अधिवक्ता को जमानत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में निर्देश (instructions) उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा।	उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय में जमानत प्रार्थना पत्र की नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 8 दिन के भीतर। प्रत्येक दशा में निर्देश न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पहले शासकीय अधिवक्ता को प्राप्त हो जानी चाहिए।
9	बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को अधिकृत सूचनाये व सेवायें जिसमे विधिक सहायता भी शामिल है, की अघतन स्थिति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष आख्या दाखिल करने के समय सीमा	न्यायालय के समक्ष प्रथम बार जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पूर्व
10	उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय, जैसी स्थिति हो, को पीड़ित को विधिक सहायता प्रदान किये जाने और इस सम्बन्ध में बाल कल्याण समिति द्वारा दिये गये मांग पत्र के सम्बन्ध में सूचना देने की समय सीमा	जब जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
11	मा0 उच्च न्यायालय की रज़िस्ट्री द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का समय	उच्च न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय में जमानत प्रार्थना पत्र की नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 10वें दिन ।

POCSO ACT 2012 के अन्तर्गत परिभाषित किसी अपराध के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होते उपरोक्त वर्णित मानक संचालन प्रक्रिया तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित Time Line के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

राज्य स्तरीय कमेटी

21– पुलिस महानिदेशक द्वारा राज्य स्तर पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा हेतु एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन निम्नानुसार किया गया है :–

1	अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन	अध्यक्ष
2	अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर निदेशक अभियोजन स्तर से कम न हो	सदस्य
3	अपर पुलिस महानिदेशक अपराध या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो पुलिस अधीक्षक स्तर से कम न हो	सदस्य

उक्त समिति मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति तथा निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले कार्मिकों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की समीक्षा करेगी और प्रत्येक 6 माह पर अपनी अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा हेतु जनपदों से 05 बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करने हेतु प्रारूप विकसीत किया गया है, जो परिपत्र के साथ **संलग्नक–01** है।

समस्त जनपदीय तथा कमिश्नरेट के नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि संलग्न प्रारूप में सूचना संकलित कर प्रत्येक माह की 05 तारीख से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध तथा अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के ई–मेल पर उपलब्ध करायेंगे।

यह परिपत्र इस मुख्यालय के पूर्व निर्गत परिपत्र संख्या–31/2021 दिनांक 28.08.2021 के क्रम में जारी किया जा रहा है तथा इस पत्र में निर्गत निर्देशों का अनुपालन पूर्व निर्गत परिपत्र में अंकित निर्देशों के साथ–साथ किया जाना है।

उपरोक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) का भलीभॉति अध्ययन करलें तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन से सम्बन्धित है, अतः समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

भवदीय,

(मुकुल गोयल)

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रारूप-01 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत आभयागों का संख्यात्मक विवरण।

जोन	परिक्षेत्र	जनपद	अवधि	पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या	अभियोग पंजीकृत होने के 24 घण्टे के अन्दर बाल कल्याण समिति को सूचना प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या	अभियोग पंजीकृत होने के 24 घण्टे के अन्दर बाल कल्याण समिति को सूचना प्रेषित न किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या	पाक्सो एक्ट में प्राप्त बेल नोटिस की संख्या	03 दिन में बेल नोटिस बाल कल्याण समिति को प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या	03 दिन में बेल नोटिस बाल कल्याण समिति को प्रेषित न किये जाने वाले प्रकरणों की संख्या	04 दिन के अन्दर बेल नोटिस पीड़ित या उसके अभिभावक को प्राप्त कराये जाने वाले प्रकरणों की संख्या	04 दिन के अन्दर बेल नोटिस पीड़ित या उसके अभिभावक को प्राप्त न कराये जाने वाले प्रकरणों की संख्या	08 दिन के भीतर इन्सट्रक्शन/तामीला रिपोर्ट्स के न्यायालय में प्रेषित कर दिये जाने वाले प्रकरणों की संख्या	08 दिन के भीतर इन्सट्रक्शन तामीला रिपोर्ट्स के न्यायालय में न पहुचने वाले प्रकरणों की संख्या	कितने कर्मियों के विरुद्ध टाइम लाइन का अनुपालन न करने के लिए कार्यवाही प्रस्तावित की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			मासिक											
			प्रगतिशील											

प्रारूप-02 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसे अभियोगों का विवरण, जिनकी सूचना अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अन्दर बाल कल्याण समिति को नही प्रेषित की गयी।

जोन	परिक्षेत्र	जनपद	अपराध संख्या	धारा	पंजीकृत करने का दिनांक	बाल कल्याण समिति को प्रेषित करने का दिनांक	विलम्ब का कारण	उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रारूप-03 पाक्सो एक्ट में प्राप्त ऐसी बेल नोटिस का विवरण, जिसका तीन दिन के अन्दर बाल कल्याण समिति को नहीं प्रेषित की गयी।

जोन	परिक्षेत्र	जनपद	नोटिस संख्या	अपराध सं0	थाना	धारा	नोटिस प्राप्त होने का दिनांक	बाल कल्याण समिति को प्रेषित करने का दिनांक	विलम्ब का कारण	उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रारूप-04 पाक्सो एक्ट में प्राप्त ऐसी बेल नोटिस का विवरण, जिसका चार दिन के अन्दर नोटिस पीड़ित या उसके अभिभावक को प्राप्त न कराये जाने वाले प्रकरणों का विवरण।

जोन	परिक्षेत्र	जनपद	नोटिस संख्या	अपराध सं0	थाना	धारा	नोटिस प्राप्त होने का दिनांक	पीड़ित/अभिभावक को तामील करने का दिनांक	विलम्ब का कारण	उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रारूप-05 पाक्सो एक्ट में प्राप्त इंस्ट्रक्शन/तामीला रिपोर्टस के न्याया0 में प्रेषित न किये जाने का विवरण।

जोन	परिक्षेत्र	जनपद	नोटिस संख्या	अपराध सं0	थाना	धारा	नोटिस प्राप्त होने का दिनांक	इंस्ट्रक्शन प्रेषित किये जाने का दिनांक	विलम्ब का कारण	उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11